संख्या-2/1500/14-5-2014-75/13

प्रेषक

वी0 एन0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 27 जून, 2014

विषय वर्ष 2014-15 में वृक्षारोपण के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण रणनीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-09/14-5-2014-75/2013, दिनांक 19-02-2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से गत वर्षो की भांति इस वर्ष **2014-15 में वन विभाग हेतु 49582 हे0 भूमि में कुल 3.22 करोड तथा अन्य विभागों हेतु 1.209 करोड पौध रोपण** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त शासनादेश में वृक्षारोपण वर्ष 2014-15 के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त वर्ष 01 जुलाई से 07 जुलाई, 2014 के मध्य आयोजित होने वाले वन महोत्सव के अवसर पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-1382/14-5-2014-135/12, दिनांक 18-06-2014 द्वारा निर्गत किये गये है।

2- उक्त शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस वर्ष वृक्षारोपण के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्नांकित रणनीति अपनायी जाए जिससे वृक्षारोपण के प्रति जनमानस में जागरूकता उत्पन्न हो और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके :-

(1) वर्ष 2014-15 में वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थलों का वन विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा जनपदवार, प्रभागवार एवं स्थलवार विवरण (जी0पी0एस0 लोकशेन सहित) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय जिससे वृक्षारोपण की साइट के संबंध में पारदर्शिता बनी रहे।

(2) इस वर्ष प्रत्येक जनपद में विभिन्न स्थानों पर 50 एकड या उससे अधिक क्षेत्रफल में वृक्षारोपण कर हरित पट्टी का विकास किया जाए जिसमें 8 से 12 फिट के पौधे रोपित किये जायेंगे।

(3) जन सामान्य के उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या-293/14-5-2014-67/87 टी0सी0, दिनांक 16-06-2014 द्वारा पौधों की प्रजातिवार नवीन पुनरीक्षित दरें पौधशाला बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय। उक्त के साथ ही अन्य माध्यमों से पौधों की प्रजातिवार पुनरीक्षित दरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय जिससे जनसामान्य को पौधों की उपलब्धता में कोई कठिनाई न हो सके।

(4) प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 01 जुलाई से 07 जुलाई के मध्य वन महोत्सव कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किये जाए तथा इसमें जनसामान्य के साथ ही विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक व स्वंयसेवी संगठनों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उक्त कार्यक्रम में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु गोष्ठी, लोकगीत व अन्य पारम्परिक माध्यमों के साथ ही डाक्यूमेन्ट्री फिल्म व अन्य माध्यम

http://shasanadesh.up.nic.in

अपनाये जाये जिससे जनसामान्य वृक्षारोपण के प्रति सजग हो सकें और उसके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ से परिचित हो सके।

(5) वन महोत्सव के अवसर पर इस वर्ष 11 चयनित जनपदों (लखनऊ/उन्नाव/हरदाई/ललितपुर/इटावा/मैनपुरी/कानपुर देहात/बदायूँ/बहराइच/रामपुर/सिद्धार्थनगर) में विशेष वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-1382/14-5-2014-133/12 दिनांक 18-06-2014 में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है। अत: इन जनपदों में आयोजित किये जाने वाले विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उक्त कार्यक्रम से संबंधित फोटोग्राफस अवश्य उपलब्ध करायें जाए।

(6) प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल पर योजना से संबंधित विवरण बोर्ड पर अनिवार्य रूप से लगाया जाय। यह बोर्ड कार्य प्रारम्भ होने के साथ ही लगा दिया जाए।

(7) **वृक्षारोपण के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त किया जायेगा।** प्रगति की साप्ताहिक सूचना शासन को प्रेषित करते हुए वास्तविक आंकडा भी भेजा जाए अन्यथा की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी प्रत्येक सोमवार को सायंकाल 4.00 बजे पूरे प्रदेश से सूचना एकत्रित कर निर्धारित प्रारूप में शासन को प्रेषित करेंगे तथा सोमवार की सायंकाल को मीडिया में इसे प्रसारित करेंगे। प्रथम सूचना दिनांक 04-07-2014 को प्रेषित की जायेगी।

(8) रणनीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निम्नवत समिति गठित की जाती है :-

(1) श्रीमती प्रतिभा सिंह, विशेष सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) श्री कृपा शंकर सिंह, अनु सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) श्री एस0 के0 शर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) श्री प्रवीण राव, वन संरक्षक कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।

(9) वृक्षारोपण के विभिन्न क्रिया-कलापों में मात्रा एवं गुणवत्ता का अनुश्रवण स्थानीय उच्चाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(वी0 एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1500(1)/14-5—2014 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/ सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन/ग्राम्य विकास/उर्जा/औद्योगिक विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/सिंचाई/लोक निर्माण/ सहकारिता/भूमि एवं जल संसाधन/ उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।

4- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(प्रतिभा सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in